भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं39 .34
उत्तर देने की तारीख2 :8.03.2022
बालिका छात्रावास

†3934. श्री उमेश जी. जाधव:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री प्रताप सिम्हा :
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए महाविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत स्वीकृत और सरकार के पास लंबित बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इसमें और अधिक संस्थानों को शामिल करने के लिए योजना को संशोधित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार/वर्ष- बार ऐसे कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है;
(ङ) क्या ये सभी छात्रावास रहने के लिए उपयुक्त हैं और वर्तमान में इनमें छात्राएं रह रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
और
(च) उक्त परियोजना के दौरान बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य-वार आवंटित धनराशि क्या है और परियोजना की संपूर्ण लागत की तुलना में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रतिशत क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (च): प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015 के तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (जे एंड के) में सात बालिका छात्रावासों के निर्माण की केंद्रीय क्षेत्र योजना में सात बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इन छात्रावासों में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पलौरा, भद्रवाह, राजौरी, बेमिना, कुपवाड़ा और पुलवामा के 6 बालिका छात्रावास और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल का 1 बालिका छात्रावास शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जो इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, को 33.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। भद्रवाह, राजौरी और पलौरा स्थित 3 बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

यूजीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01-04-2021 तक 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 580 छात्रावास हैं। इन 580 छात्रावासों में से, 255 बालिका छात्रावास हैं, जिनमें 24,543 लड़कियों को रखा जाता है।

वर्ष 2017-18 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अवसंरचना विकास के लिए धन का आवंटन उच्च शिक्षा फंडिंग एजेंसी (हेफा) के माध्यम से किया जा रहा है। हेफा ऋण के तहत, मूल राशि का 90% और संपूर्ण ब्याज घटक भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बालिका छात्रावास परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

"बालिका छात्रावास'' के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री उमेश जी. जाधव, श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा, श्री प्रताप सिम्हा एवं श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 28.03.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3934 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 31.12.2021 तक हेफा के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत बालिका छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय विश्वविद्यालय	स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	15.43
2	असम	तेजपुर विश्वविद्यालय	35.07
3		असम विश्वविद्यालय सिलचर	5.00
4		असम विश्वविद्यालय सिलचर	8.41
5	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया	50.00
6	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	27.66
7	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	34.70
8	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	18.87
9	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	5.38
10		केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	17.96
11	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	3.25
12		मिजोरम विश्वविद्यालय	23.96
13	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट	22.04
14	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	50.4
15	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	31.63
16	उत्तर प्रदेश	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	29.85
17		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	28.78
कुल			408.39

****